न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी

बनाम

अप्रार्थी :– श्री गोपीराम, रामनिवास पि0 ~~मूलाराम~~ जाति ब्राहम्ण

निवासी रोहीण्डी

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 33 / 17

निर्णय दिनांक 26.07.2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहीण्डी ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2074 में सरहद रोहीण्डी के खसरा नम्बर 778 / 1 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.04 है. भूमि में बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के स्वयं के द्वारा नोटिश तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी दिनांक 26.072017 को उपस्थित रहा अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए एकतरफा कार्यवाही की जाती है।।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा रोहीण्डी के खसरा नम्बर 778 / 1 किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.04 है. की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.04 है. भूमि के 0.20 रूपये लगान का 50 गुणा 10 /– अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 26.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पंजिका सं. 17-18 पृष्ठ सं. 4
क्र.सं. 101
मांग दर्ज की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार परबतसर
तहसीलदार परबतसर (नागौर)